

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी बलिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।
- (v) उपर्युक्त जमा करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी

एकल (खुदकी) केवल आवासीय पुणेपनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 919 दिनांक 15/03/2021

प्रार्थी सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री विभव कृष्ण शर्मा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 20500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/6236/6237

दिनांक 15/03/2021 को जमा करा दी है ।

R.No: 15 ई - 459 चौपालनी हा

घर

जी+1
आवासीय

15/03/2021

सहायक नगर प्रियोजक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

Received
Sumit Kumar
17/3/2021
M.No. 979978233